

140 / 160P
11/10/17

सन्दर्भ संख्या: 2484-87/एसआईडीसी/1A/Policy VAM-17

दिनांक 09-10-17

-:कार्यालय आदेश:-

निदेशक मण्डल की दिनांक 25.9.2017 को सम्पन्न हुयी 296वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ऐसे सभी वर्तमान प्रकरणों जिनमें निगम द्वारा आवंटित भूखण्ड का कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो तथा आबंटी द्वारा भूखण्ड परिवर्तन की मांग की जा रही हो, आबंटी को निम्नवत् विकल्प उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया जाता है -

विकल्प संख्या-1 यदि आबंटी प्रश्नगत आवंटित भूखण्ड के स्थान पर उसी औद्योगिक क्षेत्र अथवा किसी अन्य औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड परिवर्तन हेतु इच्छुक हो तो यथासम्भव ऐसे आबंटियों के भूखण्ड इस सम्बन्ध में वर्तमान में भूखण्ड परिवर्तन हेतु लागू नीति, जोकि निगम के आपरेटिंग मैनुअल (औद्योगिक क्षेत्र) वर्ष 2011 के प्रस्तर 2.18 (b) में पृष्ठ संख्या 26 एवं 27 पर उल्लिखित है, के अनुसार परिवर्तित कर दिये जायेंगे। ऐसे प्रकरणों में निगम के समस्त देयों जैसे ब्याज, अनुरक्षण शुल्क तथा उस पर देय ब्याज, नियमानुसार देय पूर्ण समयविस्तारण शुल्क तथा उस पर देय ब्याज एवं अन्य नियमानुसार देयों का पूर्ण भुगतान आबंटी को भूखण्ड परिवर्तन से पूर्व करना होगा। इस प्रकार निगम के किसी देय की माफी नहीं की जायेगी।

अथवा

विकल्प संख्या-2 विकल्पतः यदि आबंटी उपरोक्त बिन्दु संख्या-1 के अनुसार भूखण्ड परिवर्तन हेतु सहमत न हो तो आबंटी द्वारा इस शर्त के साथ भूखण्ड निगम को समर्पित किया जा सकेगा कि आबंटी द्वारा निगम में जमा करायी गयी पूर्ण धनराशि, चाहे वह किसी भी मद में जमा की गयी हो, प्रश्नगत धनराशि के जमा करने की तिथि से भूखण्ड समर्पण का पत्र निगम कार्यालय में प्राप्त होने की दिनांक तक जमा धनराशि पर 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित विलम्बतम एक माह के अन्दर वापिस कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में भूखण्ड समर्पण तथा उपरोक्त शर्त पर सहमति हेतु आबंटी से शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।

यह भी आदेशित किया जाता है कि सभी नये आबंटनों में यह प्राविधान भी किया जाये कि यदि आबंटन की तिथि से अधिकतम 06 माह की अवधि में निगम आबंटियों को प्रश्नगत भूखण्ड का कब्जा नहीं दे पाये तो उपरोक्त विकल्प संख्या-2 के अनुसार निगम द्वारा पूर्ण जमा धनराशि ब्याज सहित आबंटी को वापिस कर दी जायेगी।

यदि आबंटी ब्याज सहित जमा धनराशि वापसी का उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार न करना चाहे तो वह उपरोक्त विकल्प संख्या-1 के अनुसार निगम के समस्त देयों का पूर्ण भुगतान कर वैकल्पिक भूखण्ड के परिवर्तन हेतु अपनी सहमति सम्बन्धी शपथपत्र देकर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि तक भूखण्ड परिवर्तन होने की प्रतीक्षा कर सकता है। तत्पश्चात् भी यदि समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो उपरोक्त विकल्प संख्या-2 के अनुसार ब्याज सहित जमा धनराशि आबंटी को अनिवार्यतः वापिस कर दी जायेगी। भूखण्ड इस प्रकार से उपलब्ध होने के पश्चात् निगम द्वारा आवश्यकतानुसार ले-आउट इत्यादि में संशोधन/विकास कार्य कर/वाद निस्तारित कराकर समस्या का समाधान होने के उपरान्त तत्समय प्रचलित भूमि दरों पर नया आबंटन किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2484-89/एसआईडीसी-आईए-पालिसी वाल्यूम-17 दि० ०५-१०-१७

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
3. कम्प्यूटर अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेशों को तत्काल निगम की वेब साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक